

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | KISHANGANJ
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र



पत्रांक: BEP-445

दिनांक: 02.05.22

प्राप्त: उपस्थानपत्र - प्रमाणपत्र
राज्यीय प्राथमिक शिक्षा बोर्ड, 0
पिन कोड: 2 कम्प्यूटरी सेंटर 0

विषय: बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के पर्योजनाई बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपबन्धन के अन्तर्गत विद्यालय की प्रसूचिकृति का प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन पर दिनांक 21-09-2021 और उसके क्रम में आपको किये गये परामर्श एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक आपके विद्यालय ORIENTAL PUBLIC SCHOOL TEGHARIA, KISHANGANJ, 655107 कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षों 21-09-2021 से 21-9-2024 अवधि के लिए औपबंधिक प्रसूचिकृति प्रदान की जाती है।

उक्त प्रसूचिकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रत्येक 10 किमी. की दूरी/विधिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुसूचक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुसूचक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप में सुनिश्चित करेगा।

3. विद्यालय अपने कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने 3 करेगा। पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चों का करेगा तथा इन मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उमकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

4. कक्षा 1 में उदात्त बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। एनएनटी की उपलब्धता तब तक प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचारण करेगा।

5. मासिक/द्वि-विद्यालय के टिकट किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्ति किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन में उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर टिकट नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के टिकट निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वाहन करेगा।

(viii) शिक्षक नियुक्ति स्तर पर किसी भी प्रकार की संशोधन विधिति में संलग्न नहीं होगा।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/प्रमाण पत्र पाठ्यपथों का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप में छात्रों का नामांकन करेगा।

Principal
ORIENTAL PUBLIC SCHOOL
TEGHARIA, KISHANGANJ
Aff. No.-330480
School No.-65455

Manager
16.06.23
ORIENTAL PUBLIC SCHOOL
TEGHARIA, KISHANGANJ

अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानकों को बरकरार रखेंगे। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः

- (i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 436
- (ii) कुल निश्चित क्षेत्र :- 436
- (iii) खेल के मैदान का क्षेत्र :- PLAYGROUND, LIBRARY, LABORATORY
- (iv) वर्ग कक्षा की कुल संख्या :- 26
- (v) प्रधानाचार्यक-सह कार्यालय सह-आहार कक्षा :- 5
- (vi) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Indian , Boys :- 20 , Girls 10
- (vii) पेयजल की सुविधा :- 18
- (viii) भूखाना भोजन के लिये रसोई घर :- 2
- (ix) बाधारहित पहुँच, [] :-
- (x) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय पुस्तकालय :- LIBRARY , FOOTBALL, CRICKET, VOLLEYBALL, BASKETBALL, TABLE TENNIS, CHESS, BADMINTON ETC , (Y , 999 , NewsPaper MagaZine:- 5)

11. कोई भी अप्रत्याशित वगैरह विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से 13 संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी को एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।
16. आपका विद्यालय को आवंटित प्रवृत्ति कोड संख्या [21011272021921105406, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय "मॉग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के न्तर प्रवृत्ति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

विश्वासभाषने
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, KISHANGANJ
सह-सचिव प्रवृत्ति समिति
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

HOC LETTER

Principal
ORIENTAL PUBLIC SCHOOL
TEGHARIA, KISHANGANJ
Aff. No.-330480
School No.-65455

Manager
ORIENTAL PUBLIC SCHOOL
TEGHARIA, KISHANGANJ